राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 40 (43) ग्रावि / नरेगा / यू.सी.समा. / 2011 जयपुर, दिनांक:– 07 FEB 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
अजमेर।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्रों के समायोजन में आ रही कठिनाईयों के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक एमजीनरेगा / 4146–52 दिनांक 03.12.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सम्पादित कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के समायोजन मे आ रही व्यवहारिक एवं प्रक्रियात्मक कठिनाईयों के सम्बन्ध में मार्गदर्शन चाहा गया है। अधिकतर कार्य वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के बताये गये है। पत्र में प्रेषित कठिनाईयों के सम्बन्ध में बिन्दुवार समाधान निम्नानुसार है :–

(1) **बिन्दु संख्या 1– प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक अधिक व्यय होकर सम्पादित कार्य :–**

(i) 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक अधिक व्यय हुए कार्यों के लिए जिला स्तर पर अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (द्वितीय), ईजीएस, अधिशाषी अभियंता (नरेगा), परियोजना अधिकारी (लेखा) की एक कमेटी बनाकर कार्यों का सत्यापन करवाया जावें एवं अधिक व्यय के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए गुणावगुण के आधार पर प्राप्त कमेटी की अनुशंसा के आधार पर जिला कार्यक्रम समन्वयक को तकनीकी मार्गदर्शिका–2010 के प्रावधान अनुसार संशोधित स्वीकृतियां जारी करने हेतु अधिकृत किया जाता है। वित्तीय स्वीकृति से अधिक व्यय के लिए सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारियों का नियमानुसार उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावे तथा अनियमित व्यय की वसूली वित्त एवं लेखा मार्गदर्शिका–2011 के बिन्दु संख्या 15.32 अनुसार की जावे।

(ii) 50 प्रतिशत से अधिक व्यय के प्रकरणों के सम्बन्ध में अलग से सूचित किया जायेगा।

(2) **बिन्दु संख्या 2– तकनीकी स्वीकृति से भिन्न प्रकृति के कार्य सम्पादित होना :–**

(i) तकनीकी स्वीकृति से भिन्न प्रकृति के सम्पादित कार्यो पर हुआ व्यय को अनुमत किया जाना सम्भव नहीं है।

P.T.O.

(ii) तकनीकी मार्गदर्शिका–2010 के बिन्दु संख्या 10.2.12 में दिये गये महत्वपूर्ण निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन में तकनीकी स्वीकृति के अनुसार अंकित कार्य की मात्रा एवं राशि ही अन्तिम भुगतान हेतु अनुमत है। अनियमितता पाये जाने पर अधिक व्यय राशि हेतु व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित कर नियमानुसार वसूली की जावे।

(iii) स्वीकृति से कम कार्य होने की स्थिति में विभाग के पत्र दिनांक 01.12.2011 में दिये दिशा–निर्देशानुसार कार्यवाही करें।

(3) **बिन्दु संख्या 3– ऐसे कार्य जिनका पूर्ण भुगतान हो गया है परन्तु माप पुस्तिका भरी हुई नहीं है अथवा गुम हो गई है तथा वर्तमान में तकनीकी मापदण्डों के अनुरूप ऐसे कार्यों का पुनर्माप/मूल्यांकन किया जाना सम्भव नहीं है–**

(i) जिन कार्यो की माप पुस्तिका भरी हुई नहीं है उनके लिए विभागीय पत्र दिनांक 05.12.2011 में दिये निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

(ii) जिन कार्यों की माप पुस्तिका गुम हो गई है तो ऐसे प्रकरणों में तकनीकी मार्गदर्शिका–2010 के बिन्दु संख्या 11.23 से 11.26 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

(4) **बिन्दु संख्या 4 – ऐसे कार्य जिनका पूर्ण भुगतान हो गया है परन्तु माप पुस्तिका में दर्ज माप/मूल्यांकन किसी भी सक्षम अधिकारी जेटीए/सहा.अभियन्ता द्वारा प्रमाणित नहीं है अथवा उसे काट दिया गया है तथा वर्तमान में तकनीकी मापदण्डों के अनुरूप ऐसे कार्यो का पुनर्माप/मूल्यांकन किया जाना सम्भव नहीं है –**

(i) तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 के बिन्दु संख्या 11.12 में स्पष्ट उल्लेख है कि **"माप पुस्तिका संख्या एवं पृष्ठ संख्या का उल्लेख मस्टररोल में नहीं होने पर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा संबंधित मस्टररोल एवं सामग्री का भुगतान नहीं किया जावे। बिना माप पुस्तिका में इन्द्राज किसी प्रकार का भुगतान करने वाले की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।"**

(ii) तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 के बिन्दु संख्या 11.19 में अंकित है कि **"माप पुस्तिका में असत्य इन्द्राज करना एवं काट–छांट करना मूल्यांकन प्रतिभूति से छेड़–छाड़ की श्रेणी में आता है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 468, 471 में दण्डनीय अपराध है,"** तदनुसार कार्यवाही की जावे।

(iii) माप पुस्तिका में कटिंग के बाबत तकनीकी मार्गदर्शिका–2010 के बिन्दु संख्या 11.24 में प्रावधान है। यदि भुगतान से पहले ही माप पुस्तिका में कटिंग कनिष्ट तकनीकी सहायक द्वारा की गई है तो भुगतान से पूर्व ही कार्यक्रम एवं विकास अधिकारी द्वारा देखा जाना चाहिए था। इस सम्बन्ध में ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 के बिन्दु संख्या 14.9 में स्पष्ट अंकित है कि –**"कार्य पर किये गये समस्त भुगतानों का माप पुस्तिका में इन्द्राज किया जाना आवश्यक होगा।"** यदि माप पुस्तिका में कटिंग भुगतान के बाद की गई है तो जिसके द्वारा कटिंग की गई है वह पूरी तरह दोषी है। उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

(iv) माप पुस्तिका में माप दर्ज करने के बाद कनिष्ट तकनीकी सहायक द्वारा हस्ताक्षर नही करना, माप पुस्तिका में माप इन्द्राज कर रद्द कर देना आदि ऐसे प्रकरणों को भुगतान करने एवं पारित करने से पहले ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के सम्बन्धित कर्मचारीयों/अधिकारियों (ग्राम सेवक, सरपंच, विकास अधिकारी, सहायक अभियन्ता, लेखाकर्मी, लेखा सहायक) को भी उस समय देखना चाहिए था। उस समय ऐसे प्रकरणों में ध्यान दिया जाता तो इस प्रकार के प्रकरण होते ही नहीं। इस संबंध में दिशा–निर्देश वित्त एवं लेखा मार्गदर्शिका–2011 के बिन्दु संख्या 15.32 एवं पत्र दिनांक 03.09.2011 में दिये हुए है। तद्नुसार कार्यवाही की जावे।

(5) **बिन्दु संख्या 5 – ऐसे कार्य जिनका पुर्नमाप/मूल्यांकन तो करवा लिया गया है परन्तु श्रमिकों को देय राशि से अधिक का भुगतान (लगभग 2 से 3 गुणा अधिक तक) भुगतान कर दिया गया है–**

सक्षम अधिकारी द्वारा मूल्यांकन कम राशि का कर खर्चा अधिक होना बताया है तो ऐसी स्थिति में वित्त एवं लेखा मार्गनिर्देशिका–2011 के बिन्दु संख्या 15.32 के अनुसार वसूली की कार्यवाही की जावे। साथ ही भुगतान करने वाले अधिकारी के विरूद्ध भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे।

यह व्यवस्था केवल वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के सम्पादित हो चुके कार्यों के लिए ही की जा रही है। पूर्व में नियमों की जानकारी के अभाव में एवं कार्यों की बहुत अधिक मात्रा होने के कारण यह विशेष अनुमति अपवाद स्वरूप दी जा रही है, इसे भविष्य के लिए उदाहरण नहीं बनाया जावे। इस तरह के प्रकरणों में सम्बन्धित कार्मिकों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कर राजस्व की वसूली की जावे। अन्य प्रकरणों के लिए अलग से प्रकरण प्रेषित किये जावे।

भवदीय,

(सी.एस. राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, समस्त राजस्थान (अजमेर को छोड़कर)।
3. अति. आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), इजीएस, जयपुर।
4. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम / द्वितीय), ईजीएस, जिला परिषद् समस्त (जोधपुर को छोड़कर)।
5. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, म.गा.नरेगा, जोधपुर को पत्रांक म.गा.नरेगा/अभि. /10–11/9374 दिनांक 19.12.2011 के क्रम में।
6. मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस, जयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद, समस्त।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस